हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप॰ प्रकरण नवीन उपखण्ड बसवा क्षेत्राधिकार मे होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा को प्रेषित किया जाता है। पक्षकार नियत दिनांक 22/11/22....को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में उपस्थित होवें। नीरज कुमार मीना उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
22/11/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29-11-22 को पेश हो।	
29/11/22 पत्रावली पेश हुई, बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 12-12-22 को पेश हो।	
12/12/22 पत्रावली पेश हुई। वास्ते आदेश दिनांक 21-12-22 को पेश हो।	
1 12/22 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा॰ राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक ...27/12/22... को पेश हो। तहसीलदार रीडर	
27/12/22 पत्रावली पर हस्ताक्षरित निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया। मिसल निर्णय होकर पत्रावली रिकार्ड में जमा हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप ... बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2023.02.08 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या 251/2022
प्रकरण रज्जु दिनांक 10.5.2022
निर्णय दिनांक 27.12.2022

प्रकरण :– वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत ।

प्रकरण का उनवान

1. रेवड पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी पीपली का बास.तह.बसवा
2. कजोड पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी पीपली का बास.तह.बसवा

(वादीगण)

बनाम

1. रामकरण पुत्र रामधन जाति गुर्जर नि. पीपली का बास तह.बसवा
2. मल्ला पुत्र रामधन जाति गुर्जर नि. पीपली का बास तह.बसवा
3. लट्टू पुत्र रामधन जाति गुर्जर नि. पीपली का बास तह.बसवा
4. जयसिंह पुत्र रामधन जाति गुर्जर नि. पीपली का बास तह.बसवा
5. पप्पूराम पुत्र गोकुल जाति गुर्जर नि. पीपली का बास तह.बसवा
6. तुलसी देवी पत्नी गोविन्दा जाति गुर्जर नि. पीपली का बास तह.बसवा
7. विमला पत्नी राजाराम जाति गुर्जर नि. पीपली का बास तह.बसवा
8. सचिन उम्र 15 वर्ष पुत्र स्व.राजाराम जरिये सरंक्षक माता विमला देवी पत्नी स्व. राजाराम निवासी पीपली का बास.तह.बसवा
9. खुशीराम उम्र 13 साल पुत्र स्व.राजाराम जरिये सरंक्षक माता विमला देवी पत्नी स्व. राजाराम निवासी पीपली का बास.तह.बसवा
10. मनसिंह उम्र 11 वर्ष पुत्र स्व.राजाराम जरिये सरंक्षक माता विमला देवी पत्नी स्व. राजाराम निवासी पीपली का बास.तह.बसवा
11. गोलू उम्र 09 वर्ष पुत्र स्व.राजाराम जरिये सरंक्षक माता विमला देवी पत्नी स्व. राजाराम निवासी पीपली का बास.तह.बसवा
12. तहसीलदार बसवा जरिये लैण्डहोल्डर बसवा तहसील बसवा

(प्रतिवादीगण)

—: निर्णय :—

दिनांक :– 27.12.2022

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से एडवाकेट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा

वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में एक दावा वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये विरूद्ध प्रतिवादीगण रामकरण, मल्ला, लट्टू वगैरह के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम पीपली का बा[illegible] संख्या 19 के खसरा नंबर 181 रकबा 0.19 हैक्टर एवं खाता संख्या 42 के [illegible]ंबर 183 रकबा 0.19 हैक्टर भूमि मुतदाविया , जिनके साबिक खसरा [illegible] 1 140/ रहे हैं जिनको वादीगण द्वारा दिनांक 24.4.1995 को ज[illegible] पत्र के क्रय कर लिया था । उक्त क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण खोलने के लिये ज[illegible] प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार बसवा से कहा गया तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया एवं न्यायालय से नामान्तकरण खोलने हेतु निर्देश दिये, लिहाजा वादकरण उत्पन्न हुआ है, अतः न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा करें ।

उक्त वाद पत्र पेश होने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, दावा रजिस्टर करने के उपरांत, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । दिनांक 31.5.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2023.02.08 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

को प्रतिवादीगण द्वारा बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वादीगण द्वारा दौराने वाद सुनवाई में निम्न दस्तावेजात वादी पक्ष की ओर से पेश किये गये :-

1. मिलान क्षैत्रफल साबिक खसरा नंबर 140/1, 140/2 ग्राम पीपली का बास, तह.बसवा
2. जमाबंदी ग्राम पीपली का बास खाता सं. 42 खसरा नंबर 183 रकबा 0.19 हैक्टर संवत् 2074-77
3. जमाबंदी ग्राम पीपली का बास खाता सं. 19 खसरा नंबर 181 रकबा 0.18 हैक्टर संवत् 2074-77
4. मूल विकय पत्र दिनांक 24.4.1995

प्रकरण में वादी कजोड पुत्र श्योनाथ के बयान लिये गये, जिसके अनुसार बयानकर्ता वादी द्वारा तहरीर किया गया कि जिसके अनुसार उसके द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों एवं बिन्दुओं को ही पुनरावृत रूप से दोहराया । बयानात को शामिल पत्रावली किया गया ।

प्रकरण में वकील वादी द्वारा दिनांक 29.11.2022 को बहस की गई एवं उनके द्वारा विकय पत्र अनुसार नामान्तकरण खुलवाने हेतु अपनी बहस में मूल तथ्य की इस्तदुआ की ।

प्रकरण के कम में हमने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयानात का गहन अवलोकन किया । मुताबिक विकय पत्र के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा विकेतागण - राजाराम पुत्र गोकल, धनबाई बेवा गोकल, पप्पूराम पुत्र गोकल, गोविंदा पुत्र कंवरपाल जाति गुर्जर निवासी धपावनकलां तह.बसवा से उनकी आराजी ग्राम पीपली का बास स्थित खसरा नंबर 140/1 कुल रकबा 14 बिस्वा भूमि में से कुल 13 बिस्वा भूमि (1 बिस्वा भूमि निर्मित मकान की छोडकर) दिनांक 24.4.1995 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24.4.1995 को पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 70, जिल्द सं. 60 के पुष्ठ संख्या 91 पर उक्त विकय पत्र अक्षरे राशि 12,000/-रूपये कयराशि अदा कर लेखबद्ध करवाया गया ।

उक्त विकय पत्र के संबंध में वर्तमान राजस्व रिकोर्ड की स्थिति से कॉस एक्जामिन किया गया, जिसके मुताबिक विकयशुदा साबिक खसरा नंबर 140/1 रकबा 14 बिस्वा ग्राम पीपली का बास का हाल खसरा नंबर 181 रकबा 0.18 हैक्टयर बाद सैटलमेंट संकियाओं के अस्तित्व में आया है, जिसके वर्तमान खातेदार तुलसीदेवी पत्नी गोविन्दा हिस्सा 1/2, धनबाई पत्नी गोकल प्रत्येक हि 1/6, पप्पूराम पुत्र गोकल प्रत्येक हिस्सा 1/6, राजाराम पुत्र गोकल हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकोर्ड है ।

मुताबिक विकय पत्र वर्तमान खातेदार राजाराम, धनबाई, पप्पू स्वयं विकेता रहे हैं, जबकि श्रीमती तुलसी के पति गोविन्दा पुत्र कंवरपाल विकेता रहे हैं ।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 402/1 रकबा 13 बिस्वा भूमि का वर्ष 1995 में विकय हुआ जो कि वर्तमान में कुल रकबा लगभग 0.17 हैक्टेयर बनता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2023.02.08 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः संपूर्ण प्रकरण का गहन अवलोकन एवं दृष्टिपात करने के उपरांत आदेश दिया जाना लाजिमी प्रतीत होता है कि वर्तमान खसरा नंबर 181 ग्राम पीपली का बास के रकबा 0.17 हैक्टर को दिनांक 24.4.1995 के केतागण/वादी गण रेवड व कजोड पुत्रान श्योनाथ गुर्जर निवासी पीपली का बास तह.बसवा के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड करने के आदेश दिये जाते हैं अवशेष भूमि 0.01 हैक्टर वर्तमान खातेदार के नाम उनके हिस्सानुसार अंकित की जावे । उक्तानुसार निर्णय जारी किया जाता है साथ ही

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद के लिये संबंधित प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार, बसवा को तहरीर जारी करने के लिये आदेश जारी किये जाते हैं ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बसवा
जिला– दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2023.02.08 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested